**सि. प्र. सं. की धारा 151 के अधीन आवेदन पत्र**

न्यायालय अतिरिक्त मुन्सिफ....

वाद सं..............सन्........

.

**अबक**  ........ (वादी)

**बनाम**

**कखग**  ......... (प्रतिवादी)

**धारा 151, सि0 प्र0 सं0 के अधीन आवेदन पत्र**

श्रीमान् जी,

वादी यह निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वक निवेदन करता है :

1. यह कि वाद की सुनवाई के अंतिम दिन पर प्रतिवादी का अधिवक्ता उस समय न्यायालय में उपस्थित नहीं था जब चार अभियोजन साक्षियों का कथन अभिलिखित किया गया और वह उन सभी अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए भोजन के घण्टों के बारे में हाजिर हुआ।
2. यह कि कतिपय वास्तविक भूल से उसने उन सभी दस्तावेजों की उसकी स्वीकृति या प्रत्याख्यान वादी द्वारा पहले से ही दाखिल किये गये दस्तावेजों पर नहीं किया जो वाद के कार्य के अत्यंत आवश्यक था।
3. यह कि यह न्यायहित में समीचीन है कि प्रतिवादी के आधिवक्ता को वादी द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेजों पर उसकी स्वीकृति या प्रत्याख्यान को नोट करने के लिए बुलाया जा सकेगा ताकि वादी उन दस्तावेजों को साबित करने के लिए कार्यवाही कर सके जिनका प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रत्याख्यान कर दिया जाता है।

**प्रार्थना**

अतएव, यह सादर निवेदन किया प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी का अधिवक्ता या प्रतिवादी स्वयमेव वादी द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेजों पर उसकी स्वीकृति या प्रत्याख्यान को नोट करने के लिए बुलाया जाय।

**दिनांक................... वादी के लिए अधिवक्ता**